


हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

आवश्यक सूचना

विषय: आर0टी0आई0 के तहत सूचना मांगने पर आवेदन के साथ पहचान-पत्र की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करने बारे।

हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 5/52/2016-1AR Dated Chandigarh the 05/06 May 2021 अनुसार आर0टी0आई0 के तहत सूचना मांगने पर आवेदक द्वारा आवेदन के साथ अपना पहचान-पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट, परिवार पहचान पत्र या सरकार द्वारा जारी पहचान-पत्र की प्रति) संलग्न करना अनिवार्य है। पहचान-पत्र की प्रति संलग्न न होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।


उप-सचिव एवं राज्य जन सूचना अधिकारी